संख्या-3/2016/797/94-1-2016-218(14)/2015

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 के (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियों को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1-2016/ बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 एवं आपके पत्र संख्या-715/नौ-104/2016 दिनांक 11-04-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष मे राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर के 01-स्टाम्प न्यायिक मतदेय मद में रु0 134233 हजार (रुपये तेरह करोड़ बयालीस लाख तैतीस हजार मात्र) एवं 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर मतदेय मद में रुपये 1359007 हजार (रुपये एक सौ पैतीस करोड़ नब्बे लाख सात हजार मात्र) तथा भारित मद मे रुपये 1 हजार (रुपये एक हजार मात्र) इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रु0 1493240 हजार (रुपये एक सौ उन्चास करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) तथा भारित मद मे कुल धनराशि रु0 1 हजार (रुपये एक हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रुप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने से संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 मे दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/ बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है। अतः उक्त आदेश में निहित निर्देश/ प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2016/797(1)/94-1-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-3/2016/797/94-1-2016-218(14)/2015 दिनांक 13-04-2016 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	अनुदान संस्टाम्प -2030-लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 91 0 001-स्टाम्प न्यायिक-01-पंजीकरणनिदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान	निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण
1	**2**	**3**
1	-01वेतन	1545
2	-03मंहगाई भत्ता	2101
3	-04यात्रा व्यय	60
4	-05स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30
5	-06अन्य भत्ते	150
6	-07मानदेय	1
7	-08कार्यालय व्यय	50
8	-11लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30
9	-12कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
10	-16व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	120
11	-42अन्य व्यय	0
12	-44प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5
13	-45अवकाश यात्रा व्यय	20
14	-49चिकित्सा व्यय	100
15	-51वर्दी व्यय	1
16	**योग मतदेय 03**	**4233**
17	-101स्टाम्पों की लागत -03न्यायिक स्टाम्प -42अन्य व्यय	**50000**
18	की स्टाम्पों 102 बिक्री पर व्यय -03न्यायिक स्टाम्प -42अन्य व्यय	**80000**
	योग मतदेय 01	**134233**

(भैरव नाथ शुक्ल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-3/2016/797/94-1-2016-218(14)/2015 दिनांक 13-04-2016 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	अनुदान सं 91 0लेखाशीर्षक राजस्व लेखास्टाम्प -02-स्टाम्प पंजीकरण-2030-001-न्यायिकेत्तरनिदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान	निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण
1	2	3
1	-01वेतन	2500
2	-03मंहगाई भत्ता	3400
3	-04यात्रा व्यय	60
4	-05स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5
5	-06अन्य भत्ते	350
6	-07मानदेय	10
7	-08कार्यालय व्यय	700
8	-09विद्युत देय	80
9	-11लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	250
10	-12कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500
11	-13टेलीफोन पर व्यय	1
12	-16व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	350
13	-19विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	5
14	-42अन्य व्यय (मतदेय)	1
15	-42अन्य व्यय (भारित)	1
16	-44प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15
17	-45अवकाश यात्रा व्यय	40
18	-46कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का क्रय/	100
19	-47कम्प्यूटर अनुरक्षणत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय/	25
20	-49चिकित्सा व्यय	100
21	-51वर्दी व्यय	15
22	**योग मतदेय 03**	**8507**
23	**भारित**	**1**
24	-101स्टाम्पों की लागत -03गैर अदालती स्टाम्प -42अन्य व्यय	**800000**
25	-102स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय -03गैर आदलती स्टाम्प -42अन्य व्यय	**550000**
26	-800अन्य व्यय -04वाटर मार्क पेपर के बिक्री पर व्यय -42अन्य व्यय	**500**
	योग मतदेय 02	**1359007**
	कुल योग 02+स्टाम्प न्यायिक 01स्टाम्प न्यायिकेत्तर 1493240 **(स लाख चालिस हजार मात्रस करोड़ बत्तीरुपये एक सौ उन्चा)**	
	भारित 1 **(रुपये एक हजार मात्र)**	

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in